सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध/ई–मेल
संख्या– 4768/नौ–7–2025–01(ज)/2022

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक : 15 अक्टूबर, 2025

विषयः प्रदेश में संचालित 30 से कम निराश्रित गोवंश संख्या वाले गो आश्रय स्थलों के गोवंशों को अन्य समीपस्थ गो आश्रय स्थलों में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पशुधन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1509/सैतीस–2–2025–5(53)/2018टी.सी.–5, दिनांक 30.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में संचालित 30 से कम निराश्रित गोवंश संख्या वाले गो आश्रय स्थलों के गोवंशों को अन्य समीपस्थ गो आश्रय स्थलों में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में कतिपय दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है, जो निम्नवत है :–

(1) ऐसे गो आश्रय स्थल जहॉ पर 01 या 02 निराश्रित गोवंश संरक्षित हैं, यह प्रशासनिक शिथिलता का द्योतक है, उन्हें तत्काल मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजनान्तर्गत लाभार्थियों को सुपुर्द किया जाए अथवा समीपस्थ गो आश्रय स्थल (जहॉ पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो) पर स्थानान्तरित किया जाय।

(2) ऐसे गो आश्रय स्थल जहॉ पर क्षमता से अधिक गोवंश संरक्षित हैं, उन्हें 30 से कम गोवंश क्षमता वाले गो आश्रय स्थलों पर स्थानान्तरित किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि ऐसे छोटे गो आश्रय स्थल भी पूर्ण क्षमता के अनुसार क्रियाशील रहें।

(3) ऐसे गो आश्रय स्थल जहॉ पर 30 से कम निराश्रित गोवंश संरक्षित हैं, उन गोवंशों को समीपस्थ गो आश्रय स्थल (जहॉ पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो) पर स्थानान्तरित किया जाय तथा कालान्तर में यथा आवश्यकता इन गो आश्रय स्थलों पर पुनः निराश्रित गोवंशों का संरक्षण किया जाय।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पत्र में की गयी अपेक्षानुसार उपर्युक्त निर्देशों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
15.10.2025
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

-2-

संख्या एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम उ0प्र0।
2. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

आज्ञा से,

15.10.2025

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव।

4768/मो-7-25

संख्या 1509/सैंतीस-2-2025-5(53)/2018टीसी-5

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक,
प्रशासन एवं विकास
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 30 सितम्बर, 2025

विषय-प्रदेश में संचालित 30 से कम निराश्रित गोवंश संख्या वाले गो आश्रय स्थलों के गोवंशों को अन्य समीपस्थ गो आश्रय स्थलों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

सं0 5409/प्र.स.न.वि./सामान्य/2025

महोदय,

कृपया आप अवगत हैं कि निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु सरकार का दृढ़ संकल्प है। इस हेतु शासनादेश संख्या 4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018 दिनांक 02-01-2019 द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है। उक्त नीति अन्तर्गत प्रदेश के 7722 स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थलों में 1236914 निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया जा चुका हैं।

2- उल्लेख करना है कि वर्ष 2018-19 में निराश्रित गोवंश संरक्षण की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत भूमि की उपलब्धता के अनुरूप पर्याप्त संख्या में अस्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना की गयी। कालान्तर में 400 गोवंश धारण क्षमता के वृहद गो संरक्षण केन्द्रों के निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में कुल 500 स्वीकृत वृहद गो संरक्षण केन्द्रों के सापेक्ष 403 वृहद गो संरक्षण केन्द्रों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

3- गो आश्रय स्थलों पर संरक्षित निराश्रित गोवंशों तथा गो आश्रय स्थलों का विवरण गो आश्रय पोर्टल पर उपलब्ध है। गो आश्रय पोर्टल के डेटा विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित 458 गो आश्रय स्थल (सूची संलग्न) पर 30 से कम निराश्रित गोवंश संरक्षित हैं। विदित है कि गो आश्रय स्थल पर गोवंशों की देखभाल हेतु केयर टेकर की नियुक्ति संबंधित नगर निकायों तथा उपचार/पर्यवेक्षण आदि की व्यवस्था स्थानीय पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा की जाती है। इस प्रकार 30 से कम निराश्रित गोवंश क्षमता के गो आश्रय स्थलों के संचालन में अनावश्यक मानव श्रम/पर्यवेक्षण तथा धनराशि का व्यय हो रहा है।

4- अतः शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(4) ऐसे गो आश्रय स्थल जहाँ पर 01 या 02 निराश्रित गोवंश संरक्षित हैं, यह प्रशासनिक शिथिलता का द्योतक है, उन्हें[1] तत्काल मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश

(कृष्ण पाल)
निजी सचिव,
सचिव
नगर विकास विभाग

सहभागिता योजनान्तर्गत लाभार्थियों को सुपुर्द किया जाय अथवा समीपस्थ गो आश्रय स्थल (जहां पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो) पर स्थानान्तरित किया जाय।

(5) ऐसे गो आश्रय स्थल जहाँ पर क्षमता से अधिक गोवंश संरक्षित हैं, उन्हें 30 से कम गोवंश क्षमता वाले गो आश्रय स्थलों पर स्थानान्तरित किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि ऐसे छोटे गो आश्रय स्थल भी पूर्ण क्षमता के अनुसार क्रियाशील रहें।

(6) ऐसे गो आश्रय स्थल जहाँ पर 30 से कम निराश्रित गोवंश संरक्षित हैं, उन गोवंशों को समीपस्थ गो आश्रय स्थल (जहां पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो) पर स्थानान्तरित किया जाय तथा कालान्तर में यथाआवश्यकता इन गो आश्रय स्थलों पर पुनः निराश्रित गोवंशों का संरक्षण किया जा सकता है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
DEVENDRA KUMAR PANDEY
Date: 30-09-2025 12:45:47

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

संख्या 1509(1)/सैंतीस-2-2025-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।

2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।

3- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।

4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज/राजस्व/ग्राम्य विकास/नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- समस्त नगर विकास अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

8- समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
RAVINDRA PRATAP SINGH
Date: 30-09-2025
16:11:52

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

उप सचिव।